

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

विषय- लेखा विभाग से सेवा निवृत्ति रेल कमचारियों की रेल सेवा में पुनः नियुक्ति (Re-engagement) के सम्बन्ध में ।
संदर्भ- (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 Date 12/12/2017
(2) वसविस/प्रशा/गोरखपुर का पत्र सं. प्रशा/2018/पुनर्नियुक्ति /विविध दि 26/12/2019 ।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई/एनजी/II/97/आरसी-4/5 दि 03/02/1998 तथा पत्र सं ई(एनजी)/III/2007/आरसी-4/सीओआरई दि 11/12/09 तथा पत्र सं ई(एनजी) /III/2010/आरसी-46 दि 27/09/12, 31/08/15, 14/09/17 एवं पत्र सं ई(एनजी) /III/2007/आरसी-4/सीओआरी/ दि 016/10/17 , 22/12/17 एवं 28/11/2019 में निहित निर्देशानुसार कारखाना लेखा विभाग में निम्न पद पर निम्नलिखित शर्तों पर सेवा निवृत्ति कर्मचारियों की निर्धारित अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की जाती है तथा सलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं ।

Sr.No	Category	Number of staff permitted to be Re-engaged
1	Sr.section officer(A)	01
2	AA/JAA/Acs Clerk	01

- 1- पुनर्नियुक्ति किये जाने वाले कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना /उदारीकृति एक्टिव सेवानिवृत्ति योजना(लार्जस)के अंतर्गत सेवा निवृत्ति कर्मचारी पुनः नियुक्ति हेतु स्वीकार्य नहीं होंगे ।
- 2- पुनर्नियुक्ति से पूर्व आवेदित पद हेतु कर्मचारीयो की सुयोग्यता /सक्षमता पदों हेतु अधिमान्य मानकों की जांच/आंकलन किया जायेगा ।
- 3- यह योजना पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों के 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा इसकी वैधता दि 01/12/2020 तक मान्य होगी।
- 4- कारखाना लेखा से सेवा निवृत्ति हुए चिकित्सा विश्रेणीकृत ,स्वेच्छक सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिमान्य नहीं होंगे ।
- 5- सेवा निवृत्ति कर्मचारी तभी भर्ती के पात्र होंगे जब वे उस श्रेणी के पद हेतु मेडिकली फिट होंगे।
- 6- पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों का पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड के पत्र सं ई(एनजी)/III/2007/आरसी-4/कोर/ दि 24/10/2019 के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- 7- पुनर्नियुक्ति केवल वर्तमान में उपलब्ध सीधी भर्ती कोटे की निम्नलिखित रिक्तियों के विरुध की जायेगी तथा आरआरबी/आरआरसी से चयनित एवं अनुकम्पा के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने पर इस योजना के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जायेगा तथा नियमितिकरण हेतु किसी तरह का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- 8- पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारी /आवेदक तत्कालिक आवश्यक सम्बंधी प्रमाण पत्रों सहित कार्यरत अंतिम वर्ष के पर्यवेक्षक से अपना आवेदन अग्रसारित कराकर डाक के माध्यम से इस कार्यालय में दि 25/01/2020 तक जमा करा सकते हैं।

सहायक वित्त सलाहकार/कार 0 इज्जतनगर
सहा. वि. स. (कार.)
पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर


पत्र सं इन 0 कालेका/प्रशासन/पुनर्नियुक्ति /2020

दि 10/01/2020

प्रतिलिपि- 1.महाप्रबंधक/का 0/गोरखपुर 2.प्रमुख वित्त सलाहकार/गोरखपुर 3.म.रे.प्र/इन 0/लखनऊ/वाराणसी
4.मु 0का 0प्रबंधक/पू 0उ 0रे 0/इज्जतनगर 5.वरि 0मंडल वित्त प्रबंधक/इज्जतनगर
6..सचिव नरमू एवं अजा/अजजा तथा ओबीसी एस 0कार 0,इज्जतनगर 7.सूचना पट्ट
8.रेलवे वेबसाइट ।

सहायक वित्त सलाहकार/कार 0 इज्जतनगर
सहा. वि. स. (कार.)
पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर

मुख्य कारखाना प्रबंधक/कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर



विषय-लेखा विभाग से सेवा निवृत्ति रेल कर्मचारियों की रेल सेवा में पुनः नियुक्ति के सम्बंध में

संदर्भ-अधिसूचना सं० इन०/कालेका/प्रशासन/पुनर्नियुक्ति /2020 दि० 01/01/2020

महोदय,

विषयांकित मामले में आपकी संदर्भित अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रार्थी निम्न लिखित पद हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है :-

- 1- सेवा निवृत्ति कर्मचारी का नाम.....
- 2- पिता का नाम
- 3- सेवा निवृत्ति के समय पद
- 4- वेतनमान
- 5- मूल वेतन
- 6- नियुक्ति स्थान
- 7- जन्म तिथि
- 8- नियुक्ति तिथि
- 9- सेवा निवृत्ति तिथि
- 10- शैक्षिक योग्यता
- 11- आवेदित पद
- 12- वर्तमान पता
- 13- मोबाइल नं०
- 14- बैंक खाता संख्या
- 15- IFSC कोड

सेवा निवृत्ति कर्मचारी के पूर्ण
हस्ताक्षर एवं पूर्व पद

दिनांक